

15/10/24 वकील सुभाश भगवत / वकील प्रार्थ
को न्यायालय द्वारा कर-काग के आवेदन
प्राप्त होने पर अवगत भी वकील प्रार्थ के
समिति नहीं होने के कारण मूल वाद वसु
सजरी एवं अडम सेवकी वसु वसु स्वामिन
जिमा था पुन ही अतर उतर वाद के
कुचर शर अडम के दिनांक 25.10.2024
को जारी अद्वार निषेधाज्ञा निरस्त
की जाती है परावली निमित्त ए वसु
साखिल उपर ए

निवेदन सुनाया गया (h)

